13.6.18

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं प्रार्थी स्वयं अनुपस्थित। वकील अप्रार्थी उप० सिन्धायालय के आदेश दिनांक 26.4.18 की पालना में प्रार्थी की तामील करवाई जा चुकी है। प्रार्थी बावजूद तामील सूचना के हाजिर नहीं, बार-बार आवाज लगाने के बाद भी हाजिर नहीं आ। प्रा० प० अस्थाई निषेधाज्ञा को अग्रिम हाजरी अग्रिम पेशी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व बाद तकमील दायील दफ्तर हो।

उपखण्ड अ
उदयपुरवाटी

Scanned by CamScanner